

विज्ञप्ति क्रमांक 4032 दिनांक 26.09.2024 के संबंध में जिलों में रिक्त पदों की जानकारी

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(संशोधन 2021) की धारा 4 एवं 27 में विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। निम्नानुसार जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:—

क्र०	संभाग	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड में रिक्तियों की संख्या	बाल कल्याण समिति में रिक्तियों की संख्या
1.	भोपाल	भोपाल	01 सदस्य पद	03 सदस्य पद
2		रायसेन	—	02 पद(01 अध्यक्ष एवं 01 सदस्य)
3	इन्दौर	इन्दौर	—	03 सदस्य पद (जिसमें से एक महिला)
4		बुरहानुपर	02 सदस्य पद (जिसमें से एक महिला)	—
5		बड़वानी	—	01 सदस्य पद
6		झाबुआ	02 सदस्य पद (जिसमें से एक महिला)	04 पद(01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य)
7		खंडवा	01 सदस्य पद(महिला)	02 सदस्य पद
8		उज्जैन	—	05 पद(01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य) (जिसमें से एक महिला)
9	मंदसौर	मंदसौर	01 सदस्य पद(महिला)	05 पद(01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य) (जिसमें से एक महिला)
10		रतलाम	—	04 सदस्य पद(जिसमें से एक महिला)
11	रीवा	सिंगरौली	—	05 पद(01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य) (जिसमें से एक महिला)
12	ग्वालियर	शिवपुरी	01 सदस्य पद(महिला)	05 पद(01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य) (जिसमें से एक महिला)
13		अशोकनगर	—	05 पद(01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य) (जिसमें से एक महिला)
14	जबलपुर	बालाघाट	02 सदस्य पद (जिसमें से एक महिला)	05 पद(01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य) (जिसमें से एक महिला)
15		डिप्पोरी	01 सदस्य पद(महिला)	—
16	सागर	दमोह	01 सदस्य पद(महिला)	—
17		पन्ना	—	01 सदस्य पद
18	चम्बल	मुरैना	02 सदस्य पद (जिसमें से एक महिला)	—
19	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	02 सदस्य पद (जिसमें से एक महिला)	04 सदस्य पद(जिसमें से एक महिला)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(संशोधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक शर्तें एवं निर्देश।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(संशोधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के निराकरण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। समिति पांच सदस्यीय (एक अध्यक्ष/04 सदस्य) होगी, जिसमें से एक पद महिला के लिए सुरक्षित है, समिति अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त शक्तियों व उत्तरदायित्व के तहत जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगी। समिति में रिक्त पदों पूर्ति के लिए आवश्यक शर्तें, निर्देश एवं आवेदन प्रारूप निम्नानुसार हैं:-

1/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के लिए अर्हताएं :-

- (i) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष और अधिकतम पैंसठ वर्ष होगी।
- (ii) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो (actively involved) अथवा जो मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र (law) या सामाजिक कार्य(social work) या समाजशास्त्र(sociology) या मानव स्वास्थ्य (human health) या शिक्षा(education) या मानव विकास(human development) या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा (special education) में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

2/ बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल—

- (i) समिति के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- (ii) समिति का अध्यक्ष/ सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (iii) समिति के अध्यक्ष/ सदस्य की नियुक्ति दो लगातार कार्यकाल के लिए नहीं की जायेगी परंतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने वाले सदस्य के मामले में यह वर्जित नहीं होगा।
- (iv) अध्यक्ष/सदस्य की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर उसका बाल कल्याण समिति में कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।

3/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद के लिए अपात्रता—

- i मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई रिकॉर्ड हों।
- ii ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें मैतिक अधमता अंतर्विलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।

- iii** उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।
- iv** वह कभी बाल दुव्यर्वहार या बाल श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।
- v** समिति में रहते हुये दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हो अथवा समिति में सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हो।
- vi** विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- vii** किसी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो उसमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा।
स्पष्टीकरण: शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक समिति नहीं है:
(क) परिवार का कोई सदस्य किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;
(ख) घनिष्ठ संबंधी किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;
(ग) गैर-सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहा व्यक्तियों के मामले में;
(घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर-सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

4/ अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड—

- i** समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को संलग्न फार्म 49 के अनुसार शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं होने पर आवेदन अमान्य माना जावेगा, जिस के लिए कोई वाद या दावा मान्य नहीं होगा।
- ii** यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है।
- iii** समिति के अध्यक्ष/सदस्य को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- iv** अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
- v** दिवालिया न हो।
- vi** चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी जिस के संबंध में कोई वाद मान्य नहीं होगा।
- vii** समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

viii चयनित होने पर ज्वाईनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रारूप 49 में शपथ पत्र बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी, तदोपरांत ज्वाईनिंग ली जावेगी।

5/ पद हेतु आवेदन प्रक्रिया—

- विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता, स्वरूप, अर्हता, अपात्रता की शर्तें आदि पृथक—पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज के पृथक—पृथक मान्य होंगे। यदि आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किया जाता है तो आवेदन निरस्त किया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद, दावा / आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन दिया जाता है तो उसके लिए पृथक—पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
- यदि आवेदक द्वारा एक ही आवेदन फार्म में पृथक—पृथक जिले हेतु आवेदन किया जाता है तो तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद, दावा / आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नहीं होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।
- आवेदकों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
- विज्ञप्ति पदों की समस्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्याधीन होगी।
- ई—मेल से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- निर्धारित आवेदन प्रपत्र में जिले का नाम एवं पद जिसके लिए आवेदन किया है का उल्लेख आवेदक द्वारा आवश्यक रूप से किया जाये। यदि निर्धारित स्थान पर जिले एवं पद का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है तो आवेदन अमान्य किया जायेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी आवेदक की होगी।
- आवेदन आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालीन समय में **24 अक्टूबर 2024** तक सायं 06:00 बजे तक जमा अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा सकते हैं। ई—मेल से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जायेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अमिताभ अवस्थी)

संयुक्त संचालक

महिला एवं बाल विकास

मध्यप्रदेश

निरंतर.....5